

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

रामदेव बनाम साधु राम वर्मा
 प्र. नं. ए. टी. आर्. मुकदमा नं. FT-01/2019 सन् 2019

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>वकील जर्बो श्री राजेश शंकर ने हाजिर अफसत हेतु प्र. नं. ए. टी. आर्. पेश किया। जर्बो पत्र दर्ज लिखित किया जावे। स्वगत पर बहस वकील जर्बो एक पत्रिय सुनी गई। फर्मा पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस वकील जर्बो पर सगोर मन्त किया गया जिससे अजायगी को अन्तमि टी. आर्. से पाबन्द किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अजायगी को आगामी तारीख पेशा तक जमि अस्वर्ध निषेधाता पाबन्द किया जाता है कि आप बायगस्त आराजी ख. नं. 732 ता 734 तब ग्राम भायवाडी तहसील खण्डेला को छुर्-बुर्द नही करें। मौके की यथास्थिति बनाने लें। अजायगी की तलबी एजिस्टर्ड ए. प्री. मय लिफाके पेश होने पर तलबी जमि एजिस्टर्ड ए. प्री. की जाकर पत्रावली दिनांक 04/02/19 को पेश हो। जर्बो 0.39 R. 03 CPC के पालना करें।</p> <p>04/02/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी को पत्र-अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूरा आदेशानुसार आई-दा दिनांक-18/03/19 को पेश हो</p>	

ARMED FORCES FLAG DAY

तारीख हुकम

18/03/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-19/04/19 को पेश हो
m

29/04/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-22/5/19 को पेश हो
m

22/05/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-03/07/19 को पेश हो
m

03/07/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-21/08/19 को पेश हो
m

21/08/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-22/10/19 को पेश हो
m

22/10/19

पत्रावली पेश हुई। उक्त में बार-बार आग्रह
लगावई गई। बावजूद आग्रह लगावने
वकुलाग उभयपक्षा मध्य पक्षकारान में से
कोई भी दायित्व मंजूर नहीं आया है। अतः
कार्यवाही उक्त मध्य दायित्व एवं मध्य
पक्षी में जारी किया जाता है। पत्रावली केसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद
तकमील दायित्व दफ्तार हो। निर्णय सुले
न्यायालय में सुनाया गया।
m